न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 922 सन 2026
CNR. No.UPSP010027732026

श्रीमति आरती पत्नी गिलाराम, निवासी बी–4/296–297 सुल्तानपुरी, नार्थी वेस्ट दिल्ली।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 53/2026
धारा 61(2),318(4),303(2),317(2) बी.एन.एस
थाना कोतवाली मण्डी, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **श्रीमती आरती** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मोहनलाल पुत्र रतनलाल का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादिया अपनी जेठानी के साथ दिनांक 12.02.2026 को सामान खरीद कर गुच्छा मार्केट से दाल मण्डी पुल पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक औरत मिली तथा उसने अपनी मीठी–मीठी बातों में उन्हें फंसा कर एक ही रिक्शे में बैठकर बेहट अड्डे के लिए चल दी। उपरोक्त अज्ञात औरत ने वादिया व उसकी जेठानी से सोना दुगना करने को कहकर वादिया व उसकी जेठानी के जेवरात, जिनमें तीन अंगूठी, कान के टॉप्स, तुलसी माला, गले का लाकेट, थे उतरवा लिए तथा बेहट अड्डे पर उतरकर यह कह कर चली गयी वह उनके आभूषण दोगना करके देगी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादिया की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्ता का नाम प्रकाश में आया तथा आवेदक/अभियुक्ता के कब्जे से पचास हजार रूपये बरामद हुए।

आवेदक/अभियुक्ता के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीया नामजद अभियुक्त नही है। प्रार्थीया से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थीया घरेलू एवं विधवा महिला है। प्रार्थीया का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी दिनांक 21.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थीया को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्ता के विरूद्ध आपराधिक षड्यन्त्र के रचकर धोखाधडी कर नाजायज लाभ अर्जित करने के आशय से वादिया व वादिया की जेठानी को सोना दुगना करने का लाभ देकर उनके सोने के आभूषण चोरी करने तथा आवेदक/अभियुक्ता के कब्जे से उपरोक्त चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि के पचास हजार रूपये बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्ता को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गिरफतार किए जाने पर अभियुक्ता के कब्जे से पचास हजार रूपये बरामद होना तथा पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्ता की वादिया से कोई शिनाख्त कराया जाना दर्शित नही है। कथित घटना को कोई स्वतन्त्र जन साक्षी होना अभिकथित नही है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्ता **श्रीमती आरती** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी।
2. आवेदक/अभियुक्ता, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्ता कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्ता साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगी।
5. आवेदक/अभियुक्ता भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगी।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–12.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891